चाय / कॉफी की आपूर्ति के लिए एजेंसी / ठेकेदार की आवश्यकता

प्रशासन विभाग

राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5 ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र,

लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

फोन : 011- 24611070

ईमेल : sourav.seal@nhb.org.in

बोली ब्यौरा		
1.	बोली दस्तावेजों के एकत्रण की आरम्भ तिथि	16/11/2016
2.	बोली दस्तावेजों के एकत्रण की अंतिम तिथि	16/12/2016 17:00 बजे
3.	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	20/12/2016 17:00 बजे
4.	तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	21/12/2016 11:30 बजे
5.	वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	बोलीदाताओं को भविष्य में सूचित किया जायेगा जो की तकनिकी रूप से योग्य साबित होंगे
6.	धरोहर राशि (ईएमडी)	25,000/- रूपये (प्रतिदेय) (पच्चीस हजार रूपये मात्र)
7.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रशासन विभाग चतुर्थ तल, कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

नोट:- तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो इसमें भाग लेना चाहेंगे।

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	**राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में**	
2.	**अपेक्षित ब्योरा**	
3.	**नियम एवं शर्तें**	
4.	**अर्थदंड नियम**	
5.	**भुगतान की शर्तें**	
6.	**बोलीदाताओं को निर्देश**	
7.	**बयाना जमा राशि**	
8.	**बोली प्रक्रिया**	
9.	**बोली खोलना एवं मूल्यांकन**	
10.	**बिड का स्पष्टीकरण**	
11.	**प्रारम्भिक जांच**	
12.	**बैंक से सम्पर्क**	
13.	**बैंक को कोई या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार**	
14.	**संविदा पर हस्ताक्षर**	

1. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक संवैधानिक संगठन है जो भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्वधीन है। संसद के अधिनियम के तहत गठित रा.आ.बैंक एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जिसका कार्य आवास वित्त क्षेत्र का संवर्धन, विकास और विनियमन करना है।

आवास वित्त कंपनियों का विनियमन करने के अतिरिक्त, रा.आ.बैंक आवास वित्त कंपनियों की इक्विटी में भागीदारी करके और वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, सहकारी क्षेत्र के संस्थानों, आवास एजेंसियों आदि को पुनर्वित्त सुविधा देकर भी वित्तीय सहायता करता है जिससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनता लाभान्वित होती है।

रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में और प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलूरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और भोपाल में हैं।

2. वांछित ब्योरा

राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5ए, भारत पर्यावास केन्द्र, तृतीय से पांचवे तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में बैंक के अधिकारियों/कर्मियों आदि के लिए चाय/कॉफी प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी कैटरर/कैंटीन ठेकेदारों से प्रस्ताव आमंत्रित है। आरंभ में संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जो कि बैंक के विवेकानुसार उन्हीं नियम एवं शर्तों में अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। हालांकि संविदा की मीयाद उपयुक्त प्राधिकारी/समिति द्वारा संविदा की छमाही अवधि के दौरान किए गए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर होगी।

3. नियम एवं शर्तें

बैंक परिसर में रोजाना कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें

i. संविदा की अवधि

संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा उसे सेवा प्रदाता के संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। सेवा प्रदाता का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन छमाही आधार पर किया जाएगा।

ii. दरें

बोलीदाता को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के लिए अलग से दरें उद्धृत करनी होगी। जो भी कर लागू होंगे उनका भुगतान किया जाएगा। भुगतान के समय लागू टीडीएस के अनुसार सभी भुगतान किए जाएंगे।

संविदा की वैधता अविधि के दौरान दरों/अनुदानों में किसी संशोधन के अनुमोदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. स्थान

केन्द्रीकृत भंडार (पेन्ट्री) पांचवें तल पर स्थित होगा, जहां ठेकेदार को नए सिरे से चाय/कॉफी हाथ से तैयार करनी होगी।

iv. मुख्य कार्यालय के तीनों तल पर लगी चाय एवं कॉफी की वेंडिंग मशीन लगाना

वेंडर को प्रतिष्ठित ब्रांड जैसे सीसीडी, बरिस्ता, कोस्टा (यदि कॉफी हो) तथा नेसकैफे (यदि चाय हो) की वेंडिंग मशीन लगानी होगी। मशीन में चीनी के साथ या बिना चीनी की चाय या कॉफी बनाने का तथा अलग-अलग स्वादों की चाय जैसे नींबू वाली चाय/काली चाय/हरी चाय (ग्रीन टी) बनाने का विकल्प होना चाहिए।

v. चाय/कॉफी का समय एवं कर्मियों की तैनाती

अधिकारियों को कार्यालय समय में उनकी सीट पर आम तौर पर एक दिन में दो बार हाथ से/मशीनीकृत चाय/कॉफी/नीम्बू पानी दिया जाएगा। ये सेवाएं प्रात: 10 बजे से सायं 8 बजे तक अथवा जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगीं। एजेंसी चाय/कॉफी/नींबू पानी को हाथ से बनाने तथा देने के लिए कम से कम 03 सेवा कर्मियों की तैनाती करेंगी। मशीन से बनाई गई मशीनीकृत चाय/कॉफी अधिकारियों को देने के लिए एजेंसी द्वारा प्रत्येक तल पर एक व्यक्ति रखा जाएगा।

vi. कच्चे माल की गुणवत्ता

एजेंसी/ठेकेदार उच्च गुणवत्ता के टी-बैग जैसे कि ब्रुक बॉण्ड/ताज महल/जॉर्जिया/टाटा टैटली/कैफे कॉफी डे के टी बैग ब्रांड; उच्च गुणवत्ता की कॉफी जैसे नेसकैफे/ब्रू आदि; मदर डेयरी/अमूल (सिंगल टोंड) से बेहतर गुणवत्ता का दूध तथा धामपुर (पाउच), दौराला/हिन्दुस्तान की चीनी का उपयोग करेंगे।

अथवा

समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित।

नोट:- बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि दी गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच करेंगे। कर्मियों द्वारा खाने की गुणवत्ता पर कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसे मामले में दंड भी लगाया जाएगा।

vii. अन्य मदें

चाय/कॉफी/नींबू पानी की आपूर्ति के अलावा, चयनित वेंडर को सामान्य तौर पर तथा जब बैंक द्वारा सूचित किया जाए बिस्कुट/कुकीज़ तथा अन्य स्नैक्स वस्तुओं की भी व्यवस्था करनी होगी। स्नैक्स वस्तुओं के लिए बैंक भुगतान करेगा।

viii. बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली आधारिक संरचना

क. ईंधन (गर्म प्लेट) सहित एक पेन्ट्री

ख. बिजली के कनेक्शन/बिजली के उपकरणों हेतु प्वाइंट्स/बैंक द्वारा प्रदान की गई आधारिक संरचना

ix. रसोई - साफ-सफाई एवं स्वच्छता

कैटरिंग एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि चाय/कॉफी पेन्ट्री में ही बनाई जाए। उच्च स्तर की स्वच्छता रखी जानी चाहिए तथा चाय/कॉफी बनाने में बेहतर गुणवत्ता का कच्चा माल उपयोग किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी समय-समय पर पेन्ट्री की साफ-सफाई एवं स्वच्छता की जांच करेंगे।

x. कैटरिंग कर्मी

पेन्ट्री के साथ ही सेवा प्रदान करने वाले कर्मी की नियुक्ति कैटरर द्वारा की जाएगी तथा रा.आ.बैंक उनकी नियुक्ति के संबंध में अथवा किसी श्रम कानून के उल्लंघन हेतु किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। कैटरर सेवा कर्मी का रिकॉर्ड रखेंगे तथा नियुक्त सेवा कर्मी को उसकी सूचना देंगे। विनम्र, शिष्ट एवं सचेत होने के अलावा कर्मी को साफ-सुथरी यूनीफॉर्म पहने हुए अच्छे से तैयार हुआ होना चाहिए। उन्हें काम की मूल बातों की जानकारी होनी चाहिए। कैटरिंग कर्मी को कार्य दिवसों में काम के घंटों के दौरान तथा सप्ताहांत/सार्वजनिक अवकाश पर बैंक की आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए।

xi. संविदा की समाप्ति हेतु सूचना

संविदा किसी भी पक्ष द्वारा दो महीने की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।

xii. पेन्ट्री/खाने के स्थान का रखरखाव

कैटरर संविदा को किसी और को किराये पर नहीं देंगे। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो बैंक के पास बिना किसी सूचना दिये संविदा को समाप्त करने का अधिकार है।

xiii. कैटरर कैटरिंग सेवा हेतु किसी नाबालिग को नहीं रखेंगे

xiv. करार बैंक अथवा बैंक संपत्ति पर दावे हेतु नहीं लगाया जाएगा। संविदा के पूर्ण होने पर अथवा जब भी बैंक निर्णय करे, कैटरर एवं उसके कर्मी यथाशीघ्र परिसर को खाली करेंगे तथा पूर्व में द्वारा दिए गए बर्तनों/सभी वस्तुओं को बैंक को सौंपेंगे।

xv. बैंक द्वारा वांछित कोई आस्मिक सेवा जो नियम एवं शर्तों में शामिल न हो, हर बार अलग से तय की जाएगी।

xvi. कैटरर अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर प्रयुक्त अतिरिक्त चाय/कॉफी के लिए एक रजिस्टर में अधिकारियों से हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे तथा मासिक बिल के साथ रजिस्टर की एक प्रति लगाएंगे।

xvii. कैटरर सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मी आगंतुक बैठक एवं अधिकारियों के कक्ष में भी आगंतुकों को पानी की आपूर्ति करेंगे।

4. दंड नियम

पेन्ट्री सेवा कर्मी का यह कर्तव्य है कि –

क. अधिकारियों को दिन में दो बार; सुबह 11 बजे तथा दिन में 3 बजे उनकी मेज पर चाय/कॉफी/नींबू पानी प्रदान करे।

ख. खाद्य एवं पेय पदार्थों की तैयारी/आपूर्ति हेतु बेहतर गुणवत्ता की सामग्री/ब्रांड का उपयोग करे। वेंडर ब्रांड में ब्रांडिड वस्तुओं या अनुलग्नक घ में दिए गए ब्रांड का का उपयोग करेंगे।

ग. रसोई में स्वच्छता बनाए रखना तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों को तैयार करने/बर्तन साफ करने की जगह को कीड़े/चूहों से मुक्त रखना।

यदि पेन्ट्री सेवा कर्मी द्वारा उपरोक्त वर्णित कर्तव्यों के अननुपालन पर प्रशासनिक विभाग अपने कर्मियों से कोई शिकायत प्राप्त करता है तो निम्न दंड लगाए जाएंगे-

क. यदि प्राप्त शिकायतों की संख्या 2 से ज्यादा लेकिन 5 से कम हो, तो बैंक 1,000/- रु. का दंड लगाएगा।

ख. यदि प्राप्त शिकायतों की संख्या 5 या उससे ज्यादा हो, तो बैंक ऐसी प्रत्येक शिकायत पर 1,500/- रु. का दंड लगाएगा।

5. भुगतान के नियम

i. राष्ट्रीय आवास बैंक पर वेंडर द्वारा बढ़ाए जाने वाले मासिक बिल तथा इस संबंध में आयकर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागू करों में छूट के बाद भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

निविदा बोली (तकनीकी एवं वित्तीय बोली) दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में पहले कवर पर ''कैटरिंग व्यवस्था हेतु तकनीकी बोली'' तथा दूसरे कवर पर ''कैटरिंग व्यवस्था हेतु वित्तीय बोली'' लिखकर भेजें। इन दोनों लिफाफे को मुख्य लिफाफे में **''चाय एवं कॉफी की आपूर्ति हेतु एजेंसी की व्यवस्था हेतु कोटेशन''** लिखकर डाले।

निविदा बोली संबोधित होनी चाहिए-

श्री सौरव सील
उप महाप्रबंधक
प्रशासनिक विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

तकनीकी बोली 19.12.2016 को सुबह 11:30 बजे खोली जाएगी तथा जो वेंडर तकनीकी रूप से योग्य है, उनके लिए वित्तीय बोली खुलने की तिथि एवं समय वेंडर को सूचित किया जाएगा। बोलीदाताओं के प्रतिनिधि निविदा खुलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

6. बोलीदाताओं को निर्देश

इच्छुक कैटरर/ठेकेदार पेन्ट्री तथा बैंक में प्रदान की गई अन्य आधारिक संरचनाओं की सुविधाओं के निरीक्षण के लिए बैंक का दौरा कर सकते हैं। उसके बाद, यदि वे इच्छुक है, तो उपरोक्त पते पर 09 दिसम्बर, 2016 तक सुबह 11 बजे से सायं 05 बजे तक स्थित रा.आ.बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) से आवेदन प्रारूप ले सकते हैं जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रशासनिक विभाग का पूरा विवरण शामिल हैं। बोलीदाता को बोली के दस्तावेजों में वर्णित सभी निर्देशों, प्रारूपों, नियमों तथा विनिर्देशों की जांच करनी चाहिए। बोली दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सभी जानकारियों को प्रस्तुत करने में असफल होने पर बोली निरस्त की जा सकती है तथा यह बोलीदाता के अपने जोखिम पर होगी।

- संविदात्मक करार के निष्पादन तक किसी भी उत्तदाताओं तथा बैंक के बीच कोई अनिवार्य विधिक संबंध नहीं रहेगा।
- प्रत्येक बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि बैंक पात्र वेंडर को चयनित करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु दस्तावेज में निर्धारित चयन मापदंड को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है। प्रस्ताव आमंत्रण दस्तावेज किसी संविदा या व्यवस्था का भाग नहीं बनेगा, जिसका परिणाम इस दस्तावेज के निर्गम या बोलीदाता द्वारा की गई कोई जांच या समीक्षा सकता है।
- बैंक को आरएफपी प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी की प्रस्तावना और उद्घोषणा की शर्तें स्वीकार हैं।
- बोलीदाता से यह अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क सूत्र को भेजें:

श्री सौरभ शील
उप महाप्रबंधक
प्रशासन विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
ई :मेल-sourav.seal@nhb.org.in
टेलीफोन 24611070-011 :

- बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ई-मेल एवं पूरा पते(ते) का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी प्रतिवादियों को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

➢ यदि कोई पूछताछ/ स्पष्टीकरण हो तो वह ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति से अंतिम तिथि के पूर्व किसी भी कार्यकारी दिवस (अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार) पर प्रात: 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है। बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात किसी प्रत्युत्तर में सुधार करने अथवा स्पष्ट करने के लिए अपने पूर्ण विवेक पर किसी बोलीदाता (एक से अधिक बोलीदाता के साथ एक साथ) को अपने साथ चर्चा अथवा बातचीत में शामिल कर सकता है।

➢ रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

➢ न्यूनतम पात्रता मानदंड अर्हकारी बोलियां विस्तृत मूल्यांकन के लिए पात्र होगी एवं उसके उपरांत न्यूनतम पात्रता मानदंड एवं तकनीकी मूल्यांकन दोनों अर्हकारी बोलियां वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी।

7. बयाना जमा राशि

बोलीदाता को राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 25,000 रूपये (पच्चीस हजार रूपये मात्र) की बयाना राशि (असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया की समाप्ति पर वापिस की जाएगी और चयनित वेंडर की ईएमडी रा.आ. बैंक के पास संविदा की निष्पादन अवधि के दौरान प्रतिभूति जमा के तौर पर रहेगी जिसके लिए ईएमडी पर किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रतिभूति जमा केवल संविदा के सफलतापूर्वक पूरा होने/ संतोषजनक निष्पादन के पश्चात ही जारी की जाएगी) जमा करनी है। खाते का विवरण निम्नलिखित है:

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

1	लाभार्थी का नाम	:राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	:कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड़ नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	:स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	:प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	:चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता	:52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	:SBHY0020511
8	एमआईसीआर सं :	110004005

भुगतान का प्रमाण संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाताओं को ईसीएस अधिदेश पत्र, जैसा **अनुलग्नक-ड** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

o ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

o यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली आहरित कर लेता है।

o संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है।

o सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल हो जाता है।

7.1 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

7.2 गुप्त (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को आवृत्त वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करना भी आवश्यक है जो प्राधिकृत बोली (मूल्य प्रच्छादन (मास्किंग) के पश्चात राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की प्रति होती है । यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'गुप्त वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से नहीं मिलती है।

7.3 बोली की लागत

बोलीदाता बोली के प्रस्तुत करने और उसकी तैयारी से जुड़ी सभी लागतों का वहन करेगा और बैंक किसी भी स्थिति में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा भले ही बोली प्रकिया का प्रबंध अथवा परिणाम कुछ भी क्यों न हो?

7.4 बोली दस्तावेज

बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे बोली दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विनिर्देशों को जांच लें। बोली दस्तावेजों में सभी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने पर बोली स्वीकार नहीं की जाएगी एवं यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगा और बोलीदाता को कोई अन्य निर्देश दिए बिना यह बोलियों के रद्य होने का कारण बन सकता है।

7.5 बोली दस्तावेजों में संशोधन

बोलियों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय के पूर्व किसी भी वक्त बैंक अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी कारण से बोली दस्तावेज में संशोधनों के द्वारा उसे संशोधित कर सकता है। सभी संशोधन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जांएगे।

संभावित बोलीदाताओं को उनकी बोली तैयार करने में, संशोधन, यदि कोई हो, में लगे उपयुक्त समय प्रदान करने में बैंक अपने विवेक पर बोलियों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

7.6 वैधता अवधि

बोलियां बिड खोलने की तिथि से **छह: माह** की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। अल्प अवधि के लिए वैध बोली को अप्रतिक्रियाशील मानकर बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7.7 बोली मुद्रा

कीमतों को केवल भारतीय रुपए में व्यक्त किया जाएगा।

7.8 बोलियों का प्रस्तुत करना

बोलीदाता प्रत्येक लिफाफे को विधिवत रूप से लाल लाख (मोम सील) से सील करेगा और दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में डालेगा और यह भी केवल लाल लाख से ही सील होगा।

बोली इस दस्तावेज के पृष्ठ पर 2उल्लिखित समय और तारीख तक निम्नलिखित पते पर बैंक को संबोधि होनी चाहिए।

श्री सौरभ शील

उप महाप्रबंधक
प्रशासन विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

7.9 विलंबित बोलियां

बोलियों के प्रस्तुत करने करने की देय तिथि के पश्चात बैंक द्वारा प्राप्त की गई किसी भी बोली को रद्य औरअथवा / कर दिया जाएगा बोलीदाता को बिना खोले ही वापस, यदि उसकी ऐसी इच्छा हो।

7.10 संशोधन और/अथवा बोलियों का वापस लेना

o बोलियों को एक बार प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

o बोलियों के प्रस्तुत करने की देय तिथि के पश्चात किसी भी बोली को संशोधित नहीं किया जाएगा।

o किसी भी बोलीदाता को बोली के वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि पता चले कि बोलीदाता एक सफल बोलीदाता है।

7.11जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की विषय सूची

<u>तकनीकी बोली लिफाफा (सीलबंद लिफाफे) में अपेक्षित दस्तावेज:</u>

क– कअनुलग्न .‘क’ के भाग ‘’I’’ के अनुसार वचन पत्र

ख– कअनुलग्न .‘क’ के भाग ‘’II’’ के अनुसार बोलीदाता की सूचना

ग .अनुपालन विवरण घोषणा -अनुलग्नक –‘ख’

घ .पूर्व योग्यता मानदंड - अनुलग्नक –‘ग’

ड .वाणिज्यिक बोली के लिए प्रारूप अनुलग्नक –‘घ’

च .ईसीएस अधिदेश प्रारूप- अनुलग्नक –‘ड’

वाणिज्यिक बोली लिफाफा (सीलबंद लिफाफे) में अपेक्षित दस्तावेज:

वाणिज्यिक प्रस्ताव: प्रस्ताव अनुलग्नक 'घ' की वाणिज्यिक बोली प्रारूप के अनुसार होना चाहिए और सभी अनन्य होना चाहिए (सभी लागू करों को अलग से उद्धृत किया जाए)। इनवॉयस तिथि तक सरकार लेवी / करों /शुल्क, इत्यादि के मामले में कोई भिन्नता (ऊपर या नीचे) होने पर उसका लाभ अथवा भार बैंक को /अथवा द्वारा पारित अथवा समायोजित किया जाएगा।

8. बोली प्रक्रिया (दो चरण)

वर्तमान कार्य के उद्देश्य के लिए दो चरण की बोली प्रक्रिया को देखा जाएगा। आरएफपी के प्रत्युत्तर को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:

- तकनीकी बोली भाग I
- वाणिज्यिक बोली भाग II

तकनीकी बोली में कोई भी मूल्य निर्धारण या वाणिज्यिक सूचना शामिल नहीं होगी।

बोली टाइप की जाएगी या अमिट स्याही में लिखी होगी और बोलीदाता द्वारा अथवा उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। अनुज्ञप्ति बोली के साथ न्यायवादी की लिखित रूप में दिए गए अधिकार के द्वारा दर्शाई जाएगी। बोली के सभी पृष्ठों पर बोली को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति (यों)के हस्ताक्षर होने चाहिए।

अन्तरालेखन, मिटाना अथवा अधिलेखन केवल तभी वैध होगा यदि वे बोली पर हस्ताक्षरित व्यक्ति द्वारा संक्षिप्त हस्ताक्षरित हो।

9. बोली का खोलना एवं मूल्यांकन

बैंक तकनीकी बोलियों को ऐसे बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोलेगा जो आरएफपी के पृष्ठ 2 पर वर्णित समय, तारीख और स्थान को चुनना पसंद करें।

बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधि जो मौजूद हों अपनी उपस्थिति का प्रमाण रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके करेंगे। यदि बोली खोलने की निर्धारित तिथि बैंक के लिए एक छुट्टी घोषित होती है तो बोलियों को अगले कार्य दिवस में नियत समय और स्थान पर खोला जाएगा।

पहले चरण में, केवल तकनीक बिड खोली जाएगी और उसका मूल्याकंन किया जाएगा। जो भी बोलीदाता बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते है और जो इस दस्तावेज़ की नियम और शर्तें को स्वीकार करते है उनकी चयनित सूची बनाई जाएगी।

दूसरे चरण में, चयनित बोलीदाताओं की वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी। बैंक किसी को भी कारण बताए बिना कोई भी तकनीकी बोली को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

वाणिज्यिक बोलीदाताओं जिनकी तकनीकी बोली बैंक द्वारा उपयुक्त पाई जाती हैं उन्हें ही खोला जाएगा।

10. बिड का स्पष्टीकरण

बिड के मूल्यांकन के दौरान बैंक, बोलीदाता से उसकी बिड के लिए स्पष्टीकरण पूछ सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और प्रत्युत्तर लिखित में होगा और बिड के सारांश में कोई परिवर्तन मांगा, प्रदत्त और स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

11. प्रारम्भिक जांच

बैंक बोलियों की जांच करके निर्धारित करेगी की वे पूरी है, क्या गणना में कोई भूल हुई है, क्या बोली दस्तावेज में मांगी गई अपेक्षित सूचना दी गई है जो कि बोली दस्तावेजों में रेखांकित की गई है, क्या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ठीक से किए गए है और क्या बिड मौटे तौर से ठीक है।

विनिर्देशों के अनुसार मांगी गई बोली पाये न जाने पर बैंक उसे अस्वीकार कर सकता है।

12. बैंक से सम्पर्क

बैंक द्वारा बोली के मूल्याकंन, बोली के तुलनात्मक अध्ययन या अनुबंध देने के निर्णय को प्रभावित करने के लिए बोलीकर्ता द्वारा कोई प्रयास करने पर बोलीदाता की बिड अस्वीकृत की जा सकती है। बैंक का निर्णय अंतिम व निष्पक्ष होगा तथा जो सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

13. बैंक को कोई या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार

बैंक को यह अधिकार है कि वह कभी भी समय बोली को स्वीकार, वार्षिक बोली लगाने की प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध से पुरस्कार से पूर्व अस्वीकार कर सकती है, जिसके किसी भी दायित्व के बिना प्रभावित बोली वसूल की जा सकती है और बोलीदाताओं और बैंक की कार्रवाई के लिए प्रभावित बोली लगाने या जमीन की बोली लगाने वालों को इस दायित्व के लिए सूचित किया जाता है।

बड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक को यह अधिकार है कि वह एक से अधिक बोली लगाने वाले का चयन करें।

14. अनुबंध पर हस्ताक्षर

सफल बोलीदाताओं को वेंडर कहा जाएगा, उन्हें बैंक के साथ एक सेवा आदेश सौंपे जानें के 7 दिनों के भीतर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट वृद्धित अवधि के भीतर सर्विस लेबल करार (एसएलए) करार करना होगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What’s New